उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-04/2015/1735/92-2-15-13जॉच/2015
लखनऊ:: दिनांक:: 19 नवम्बर,2015

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-काशीराम नगर में डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा हरसैना, मोहम्मदपुर, सलेमपुर एवं बादामपुर में निर्माणाधीन सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण कार्यो में की गयी गम्भीर अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-199/62-3-2009-15आरई/2009, दिनांक 18-02-2009 द्वारा श्री वाजिद अली, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-काशीराम नगर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-सहारनपुर को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-सहारनपुर की जॉच आख्या उनके पत्र दिनांक 05-06-2014 द्वारा शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-सहारनपुर के पत्र दिनांक 05-06-2014 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में श्री वाजिद अली के विरूद्व अधिरोपित कतिपय आरोप स्थापित पाये गये। अतएव शासन के पत्र दिनांक 31-07-2014 द्वारा जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में स्थापित आरोपों के संबंध में उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 29-09-14 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, जॉच आख्या में स्थापित पाये गये आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गये अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड -काशीराम नगर में डॉ0 अम्ब्डेकर ग्राम सभा हरसैना, मोहम्मदपुर एवं सलेमपुर में सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण के कार्यो में बरती गयी पर्यवेक्षणीय शिथिलता का आरोप अपचारी अधिकारी पर सिद्व पाया गया। अतएव उक्त अनियमितताओं के लिये अपचारी अधिकारी, श्री वाजिद अली के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में उन्हें अनन्तिम दण्ड दिये जाने का विनिश्चय करते हुये शासन के पत्र दिनांक 10-06-2015 द्वारा लोक सेवा आयोग की सहमति मांगी गयी।

4- लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 10-09-2015 द्वारा अपचारी अधिकारी के विरूद्व प्रस्तावित दण्ड पर आयोग ने अपनी सहमति निम्नवत प्रदान की गयी है :-

(1) श्री वाजिद अली को वर्तमान वर्ष के लिये परिनिन्दित किया जाय।
(2) श्री वाजिद अली की एक वेतनवृद्धि स्थायी रूप से रोक दी जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18-02-2009 द्वारा श्री वाजिद अली, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-काशीराम नगर के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को एतदद्वारा निम्नवत दण्ड प्रदान करते हुये समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है :-

(क) श्री वाजिद अली को वर्ष 2015-16 के लिये निम्नवत "परिनिन्दित" किया जाता है :-

" ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-काशीराम नगर में डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा हरसैना, मोहम्मदपुर एवं सलेमपुर में सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण के कार्यो में बरती गयी पर्यवेक्षणीय शिथिलता के लिये अपचारी अधिकारी श्री वाजिद अली तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-काशीराम नगर को परिनिन्दित किया जाता है।"

(ख) श्री वाजिद अली की एक वेतनवृद्धि स्थायी रूप से रोकी जाती है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

डॉ0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या- 04/2015/1735(1)/92-2-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- श्री वाजिद अली, तत्कलीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-काशीराम नगर,द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, (स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- लोक सेवा आयोगा, उ0प्र0 को उनके पत्र सं0-30(1)/04/एडीसी/एस-12/2015-16 दिनांक 10-09-2015 के संदर्भ में सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in